

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७२]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल २, १९७०/चैत्र १२, १९९२

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 1970/CHAITRA 12, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd April 1970

G.S.R. 585.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 56 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Assam Reorganisation (Meghalaya) Distribution of Revenues Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. The share of the net proceeds of taxes on income payable, in relation to the financial year commencing on the 1st day of April, 1970, to the State of Assam in pursuance of clause (2) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969, shall be construed, as from the 2nd day of April, 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 2.50 to 0.17.

3. The arrears of the net proceeds of taxes on income payable to the State of Assam in pursuance of clause (b) of the proviso to paragraph 5 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969, shall be construed, as from the 2nd day of April, 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 2.30 to .14.

4. The sum specified in clause (1) of paragraph 6 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969, as payable in relation to the financial year commencing on the 1st day of April, 1970, to the State of Assam shall be construed, as from the 2nd day of April, 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya to the extent of Rs. 17.60 crores and Rs. 3.00 crores respectively.

5. The share of the distributable union duties of excise payable, in pursuance of section 3 of the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962 (3 of 1962), to the State of Assam, during the financial year 1970-71, shall be construed, as from the 2nd day of April 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 2.27 to .24.

6. (1) The sum specified in the second column of the Table in clause (c)(ii) of paragraph 2 of the Second Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as payable during the financial year 1970-71, to the State of Assam shall be construed, as from the 2nd day of April, 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 79.75 to 5.33.

(2) The sum payable, during the financial year 1970-71, to the State of Assam in pursuance of the percentage share specified against that State in the third column of the Table referred to in sub-paragraph (1) shall be construed, as from the 2nd day of April, 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 2.32 to .15.

7. The net proceeds of estate duty assignable, during the financial year 1970-71, to the State of Assam in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Estate Duty (Distribution) Act, 1962 (9 of 1962), shall be construed, as from the 2nd day of April 1970, as payable to the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya in the ratio of 2.59 to .17.

8. For the removal of doubt it is hereby declared that the provisions of this Order are liable to modification if it is considered necessary to do so in the light of further data, if any, furnished by the Governments of Assam and Meghalaya before the 31st day of March, 1971.

[No. F. 12(3)-B/70.]

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 1970

एस० नो० 585:—असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 (1969 के पंचमनवें अधिनियम) की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को असम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व वितरण आदेश, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) यह आदेश तुरन्त लागू होगा ।

2. संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1969 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (2) के अनुसार, असम राज्य को पहली अप्रैल, 1970 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, आय-सम्बन्धी करों की वास्तविक प्राप्तियों की रकम का जो भाग देय है, वह 2 अप्रैल, 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को 2.50 और 0.17 के अनुपात में देय समझा जायगा।

3. संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1969 के पैराग्राफ 5 के परन्तुक के खण्ड (ख) के अनुसार असम राज्य को आय-सम्बन्धी करों की वास्तविक प्राप्तियों में से देय बकाया रकम 2 अप्रैल, 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को 2.30 और 0.14 के अनुपात में देय समझी जायगी।

4. संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1969 के पैराग्राफ 6 के खण्ड (1) में जो रकम असम राज्य को पहली अप्रैल 1970 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में देय रकम के रूप में उल्लिखित है, वह 2 अप्रैल, 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को क्रमशः 17.60 करोड़ रुपये और 3.00 करोड़ रुपये की सीमा तक देय समझी जायगी।

5. विभाज्य संघीय उत्पादन-शुल्कों का जो भाग संघीय उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 के तीसरे अधिनियम) की धारा 3 के अनुसार, असम राज्य को वित्तीय वर्ष 1970-71 में देय है वह 2 अप्रैल, 1970 से, असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को 2.27 और .24 के अनुपात में देय समझा जायगा।

6. (1) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्वपूर्ण वस्तु) अधिनियम, 1957 (1957 के अठ्ठावनवें अधिनियम) की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ 2 के खण्ड (ग) (ii) की सारणी के दूसरे कालम में जो रकम, असम राज्य को वित्तीय वर्ष 1970-71 में देय, रकम के रूप में उल्लिखित है वह 2 अप्रैल 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को 79.75 और 5.33 के अनुपात में देय समझी जायगी।

(2) उप पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सारणी के तीसरे कालम में, असम राज्य में सामने उल्लिखित प्रतिशत भाग के तौर पर, असम राज्य को, वित्तीय वर्ष 1970-71 में जो रकम देय है, वह 2 अप्रैल, 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को, 2.32 और .15 के अनुपात में देय समझी जायगी।

7. सम्पदा-शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों की जो रकम सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम 1962 (1962 के नव्वे अधिनियम) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसार असम राज्य को वित्तीय वर्ष 1970-71 में दी जानी है वह 2 अप्रैल 1970 से असम राज्य और मेघालय स्वायत्त राज्य को 2.59 और .17 के अनुपात में देय समझी जायगी।

8. सन्देश निवारण के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि 31 मार्च, 1971 से पहले असम और मेघालय की सरकारें कुछ और तथ्य प्रस्तुत करें और उन की दृष्टि से इस आदेश के उपबन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाय, तो उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

[एफ० संख्या 12(3)-बी०/70]

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव।